स्मरण पत्र–II

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/2237-61 दिनांक : 13.6.24

समस्त मुख्य वन संरक्षक,

विषय :– आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत दिवस को ही पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भ :–वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 01.06.2023 एवं निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(328)निपेवि/नियम/ ई–मॉड्यूल/2023/3548–एच दिनांक 08.01.2024, पत्रांक 3611–एच दिनांक 05.02.2024, दिनांक 24.04.2024 एवं दिनांक 27.05.2024.तथा इस कार्यालय के पत्रांक 10750–770 दिनांक 18.03.2024 एवं 1102–222 दिनांक 17.05.2024 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं निदेशक पेंशन विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया है कि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के अनुरूप कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा को सिस्टम पर अद्यतन नहीं रखने के कारण ऑटो प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित हुए कतिपय पेंशन प्रकरणों में निम्नांकित त्रुटियां रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. सिस्टम पर गलत Date of Birth अंकित होने के कारण कार्मिक की वास्ततिक सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी हो गई।
2. गलत Date of Retirement सिस्टम पर अंकित होने के कारण कार्मिक की सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी होकर राशि उसके बैंक खाते में जमा हो गई।
3. सिस्टम पर कार्मिक की गलत Date of Joining अंकित होने तथा विभागीय जांच बकाया होने के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान हो गया।
4. अधिक पेंशन योग्य सेवा अवधि के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी की अधिक राशि कार्मिक के बैंक खाते में हस्तांतरित हो गई।

उपरोक्तानुसार त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस कार्यालय के यू.ओ.नोट क्रमांक 8463 दिनांक 31.01.2024 मय सूची के नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 द्वारा राजस्थान फोरेस्ट ओफीसर्स वॅाटसअप ग्रुप पर दिनांक 05.02.2024 को पोस्ट करते हुये एवं इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2024 तथा 1102–222 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों से संदर्भित पत्र की अनुपालना चाही गई थी जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का डेटा सिस्टम पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं **विगत माहों में आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों के ऑटोप्रोसेस से निस्तारित पेंशन प्रकरणों (पूर्व में संलग्न सूची) की जांच कर अधिक भुगतान को संबंधित बजट मद में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी कार्यालयाध्यक्ष तथा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.06..2024 तक नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 को पालना से अवगत करावें,** जिससे वित्त विभाग को अवगत करवाया जा सकें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/2262-65 दिनांक : 13.6.24

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
3. उप वन संरक्षक (नाबार्ड) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अनुपालना निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रगति से अवगत करावे।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7922407

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date: 2024.06.1? 1?:57:13 IST
Reason: Approved

वन विभाग मुख्यालय जयपुर

DA
कार्यालय
RO II
20/6/24

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.5(328)निपेवि/नियम/ई–मॉड्यूल/2023/ दिनांकः–

वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
जयपुर, राजस्थान

विषयः– IFMS 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बावत्।

सन्दर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75) डीटीए/IFMS 3.0/1112-1311 दिनांक 01.06.2023 एवं इस निदेशालय का पत्रांक 3548–50--एच दिनांक 08.01.2024 एंव पत्र कंमांक 3611–13–एच दिनांक 05.02.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के द्वारा IFMS 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

उक्त परिपत्र के संबंध में इस निदेशालय के संदर्भित पत्रानुसार त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का डेटा सिस्टम पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करानें, विगत माहों में आपके विभाग के ऑटोप्रोसेस से निस्तारित पेंशन प्रकरणों की जांच कर अधिक भुगतान को संबंधित बजट मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित करानें, अनियमित तथा अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी कार्यालयाध्यक्ष तथा अन्य कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं 30 नवम्बर, 2023 तक IFMS 3.0 पर जारी ऑटोप्रोसेस प्रकरणों की जांच कर दिनांक 15.01.2024 तक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था किंतु आदिनांक तक इस संबंध में कोई पत्र/सूचना प्राप्त नहीं होने पर पुनः संदर्भित स्मरण पत्र द्वारा दिनांक 10.02.2024 तक अपेक्षित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था किंतु आदिनांक तक इस संबंध में कोई कोई पत्र/सूचना प्राप्त नही हुई हैं । अतः इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि पूर्व पत्रानुसार अपेक्षित कार्यवाही कर इस निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में हो रहे सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के कई पेंशन प्रकरण सेवानिवृति के पश्चात भी कार्यालयाध्यक्ष के यहाँ लंबित है । अतः इन प्रकरणों की भी मॉनिटरिंग करावें जिससे राज्य सरकार की भावना के अनुरूप सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को समय पर पेंशन परिलाभो का भुगतान किया जा सकें ।

भवदीय

(डॉ. देवराज)
निदेशक

क्रमांकः– प.5(328)निपेवि/नियम/ई–मॉड्यूल/2023/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक वन विभाग जयपुर राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि सिस्टम/ पे–मैनेजर पर उपलब्ध डेटा की जांच हेतु अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को समुचित निर्देश जारी करें तथा अधिक/अनियमित भुगतान वाले पेंशन प्रकरणों में दोषी कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, जयपुर।

निदेशक

RajKaj Ref
6543457

Document certified by Devraj <devrajdevraj@hotmail.com>.
Digitally Signed by DEV RAJ
Designation : Director
Date :24-04-2024 02:58:35